

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 93/2025**

**IN THE MATTER OF:**

**Jagan Prasad Tehriya**

**....APPLICANT**

**VERSUS**

**State Of U.P. & Others**

**.....RESPONDENT**

**INDEX**

| <b>S.No.</b> | <b>PARTICULARS</b>  | <b>PAGE NO.</b> |
|--------------|---|-----------------|
| <b>1.</b>    | <b>RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL</b> |                 |
|              | <b>ANNEXURES</b>  |                 |
| <b>2.</b>    | <b>COPY OF THE LETTER OF AUTHORIZATION ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1</b>   |                 |
| <b>4.</b>    | <b>COPIES OF THE PHOTOGRAPHS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2</b>   |                 |
| <b>5.</b>    | <b>COPY OF THE NAZRI NAKSHA AND KHASRA KHATAUNI ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3</b>  |                 |
| <b>6.</b>    | <b>COPY OF THE FIR NO. 0039 DT. 02.12.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4</b>   |                 |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 7.  | COPY OF THE FARD REPORT ANNEXED<br>HEREWITH AS ANNEXURE A-5                            |  |
| 8.  | COPY OF THE H2 CASE NO.<br>17/KIRAWALI/2024-25 ANNEXED HEREWITH<br>AS ANNEXURE A-6     |  |
| 9.  | COPY OF THE GAZETTE NOTIFICATION DT.<br>07.01.2020 ANNEXED HEREWITH AS<br>ANNEXURE A-7 |  |
| 10. | COPIES OF THE NOTICES ANNEXED<br>HEREWITH AS ANNEXURE A-8.                             |  |
| 11. | COPY OF THE CHARGE SHEET ANNEXED<br>HEREWITH AS ANNEXURE A-9                           |  |
| 12. | COPY OF E-NOTICE DT. 27.05.2025 ANNEXED<br>HEREWITH AS ANNEXURE A-10                   |  |
| 13. | COPY OF THE BANK DRAFT DT. 27.05.2025<br>ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11             |  |
| 14. | COPY OF ORDER DT. 13.05.2025 ANNEXED<br>HEREWITH AS ANNEXURE A-12                      |  |

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

Ph: 9639286572

DATE: 28.07.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 93/2025

IN THE MATTER OF:

Jagan Prasad Tehriya

....APPLICANT

VERSUS


State Of U.P. & Others

.....RESPONDENT

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 IN COMPLIANCE OF  
THE ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL  
GREEN TRIBUNAL

I, RAJESH KUMAR, aged about 36 years, presently posted as Divisional Forest Officer, Forest Department, Agra do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the Divisional Forest Officer, Forest Department, Agra and am duly authorized to file this affidavit on behalf of respondent no. 5 i.e. Divisional Commissioner and Chairman, Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority, Agra. I am well-acquainted with the facts of the present matter and competent to dispose to the same.



1


Copy of the letter of authorization has been annexed herewith as ANNEXURE A-1.

2. That the present reply is being submitted in compliance with the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble tribunal whereby TTZ Authority was impleaded as respondent no. 5 and directed to file its response.

**I. BACKGROUND OF THE MATTER:**

3. That in the present matter, the applicant contends that the primary basis of his grievance is the illegal and unauthorized cutting of trees of 19 trees. That trees including peepal and neem were cut down to development a colony under the name of Gangadhar Kushwaha next to the left track petrol pump on the Achnera to Kirawali road.
4. That on 02.12.2024, an information was received by the Forest Department regarding illegal tree felling in a newly developing residential colony situated on the left-side of the Achnera-Kiraoli road. That the said site is on Khasra No. 951 (Mi) and is geographically located within the Taj Trapezium Zone.

Accordingly, the concerned forest officer reached the site and took cognizance of the incident. At the site, it was found that 01 Peepal tree, 07 Neem trees, 08 Papdi (Chilbil) trees, 03 Ber trees, (Total 19) and approximately 20 to 25 shrubs of Prosopis, Papdi, and Kokat species (measuring between 0 to 1 diameter class) had been felled. That twenty-four (24) other trees were found standing on Khasra No. 951 (Mi), Village Achhnera Dehat, Tehsil Kirawali, District



Agra, which were duly numbered by the officials of the Forest Department, Further, appropriate directions have been issued to the concerned forest officers to ensure monitoring and protection of the said trees so as to prevent any further unauthorized or illegal felling.


Copies of the photographs have been annexed herewith as ANNEXURE A-2. A Copy of the Nazri Naksha and Khasra Khatauni have been annexed herewith as ANNEXURE A-3.

## II. INITIATION OF PROCEEDINGS PURSUANT TO COMPLAINT

### i. Registration of FIR:

5. That a First Information Report (FIR) number 0339, dated 02.12.2024 was registered by the Range Forest Officer at the Achhnera Police Station against the following 6 accused on 02.12.2024 under Sections 4/10 of the U.P. Tree Protection Act, 1976 :

- Rakesh alias Dhadhu, Son of Shri Lohre, Resident of Nagla Laldas,
- Kaka, Son of Shri Lohre, Resident of Nagla Laldas, Achhnera
- Lal Singh, Son of Shri Tikam Singh, Resident of Achhnera
- Gangadhar Singh Kushwaha, Son of Shri Shivcharan, Resident of Dauretha, Kagarol;
- Bahadur Singh, Son of Shri Tularam, Resident of Mangrol Jat, Achhnera;



- Bhupendra alias Bhup, Son of Shri Bane Singh, Resident of Guda, Kiraoli.

6. That the said FIR states as under:


- That on 02.12.2024, at around 2:30 PM, based the on received information, the Range Forest Officer, Kirawali, along with his colleague Shivnarayan (Forest Guard), reached the left side of the Achnera- Kirawali road near the petrol pump, in the colony named Gangadhar Kushwaha, where tree cutting was reported. Upon reaching the site, it was seen that:

- i. 01 Peepal tree with a girth of 225 cm was found felled;
- ii. 07 Neem trees with girths of 67, 98, 108, 100, 99, and 280 cm were found felled;
- iii. 08 Papdi trees were found cut, with stumps measuring 93, 75, 54, 125, 85, 88, 118, and 67 cm in girth;
- iv. 03 Ber (Indian jujube) trees were found cut, with stumps measuring 145, 130, and 116 cm in girth;
- v. Additionally, approximately 20-25 bushes of Prosopis, Papdi, and Kokat species of 0-1 diameter class had been cleared from the site.

A Copy of the FIR No. 0039 dt. 02.12.2024 has been annexed herewith as

**ANNEXURE A-4.**

Copy of the Fard Report has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**



4

7. That the said area falls within the Taj Trapezium Zone (TTZ), and cutting of trees and clearing of bushes without first obtaining the permission of the Hon'ble Supreme Court is a violation and amounts to contempt of the Hon'ble Supreme Court.

**ii. Registration of an H2 Case:**

8. Following the due procedure, the concerned forest officer initiated legal action and registered H2 Case No. 17/ Kirawali/2024-25 dated 02.12.2024, under Sections 4 and 10 of the U.P. Tree Preservation Act, 1976. That it was found that out of the 19 trees felled, total 8 (7 Neem and 1 Peepal) trees are of prohibited species as per the Government Gazette Notification dt. 07.01.2020.

A Copy of the H2 case no. 17/Kirawali/2024-25 has been annexed herewith as ANNEXURE A-6.

A Copy of the Gazette Notification dt. 07.01.2020 has been annexed herewith as ANNEXURE A-7.

**iii. Notices Issued Against Offenders**

That subsequently, notices were issued to the following accused on 10.12.2024

to appear before the Range Office:

- Bhupendra Singh

- Bahadur Singh

- Gangadhar Singh Kushwaha



- Lal Singh
- Kaka
- Rakesh alias Dhablu

Copies of the Notices have been annexed herewith as **ANNEXURE A-8**.

**iv. Final Report (Charge Sheet):**

10. That following the aforementioned FIR, a charge sheet (Case No. 288/24 dated 22.12.2024) was prepared by concerned Sub-Inspector. That the said Charge Sheet states as under:

- That the investigation was conducted by the Sub-inspector in the present matter. That the statements from the complainant, witnesses were recorded.
- Based on witness statements, independent eyewitness accounts, on-site inspection, and other documentary evidence, it was concluded that:


i. Rakesh alias Dhandhu s/o Lohre,

ii. Kaka s/o Lohre,

iii. Lal Singh s/o Tikam Singh,

iv. Bahadur Singh s/o Tularam,

v. Bhupendra alias Bhupay s/o Bane Singh,




have committed a cognizable offense under Sections 4 and 10 of the UP. Rural Trees Protection Act, 1976, which stands duly substantiated.

That the said Charge Sheet has been submitted before the Judicial Magistrate for further proceedings. The Compounding fees as per Hon'ble Supreme Court order dated 13.05.2025 in Writ Petition (c) No-13381/1984 M.C. Mehta V/s Union of India and oth. has been submitted to the Forest Department and it will further informed to Hon'ble District Court, Agra also.

A Copy of the Charge Sheet has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9**.

11. That the entire wood of the Peepal tree and partial wood of other species were recovered from the site and a seizure report (Fard) was prepared. Upon local inquiry, it was found that the trees were cut by the aforementioned accused. That the Forest Department issued an **E-3 (No. E3/098290 dated 27.05.2025)** to the accused as per the rules and imposing a compensatory amount of Rs 2,00,000/- upon the responsible individuals and has been received on 27.05.2025, and an amount of Rs. 1,25,000.00 (Rupees one lakh twenty- five thousand) has been received through **Bank Draft No. 337046 dated 27.05.2025**, for ten times the plantation in accordance with the orders dt. 13.05.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court in writ petition (c) No-13381/1984 M.C. Mehta V/s Union of India and oth.



✓

A Copy of E-3 receipt dt. 27.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

A Copy of the Bank Draft dt. 27.05.2025 annexed herewith as **ANNEXURE A-11.**

A Copy of order dated 13.05.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court, New Delhi. **ANNEXURE A-12.**

Further directions were issued to ensure protection of remaining green cover in the affected area, and follow-up reports were requested from field officials.

12.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

~~DDP/AGRA~~  
Social Forestry Division  
AGRA

### VERIFICATION

Verified at AGRA on this 22 day of July, 2025, that the contents

of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing

material has been concealed therefrom.



**ATTESTED**  
*for all*  
22.7.2025  
Devi Prasad Pandey (Advocate)  
DISTT. NOTARY  
R. No. 10842/2015  
Gazetted Officer, Agra

~~DDP/AGRA~~  
Social Forestry Division  
AGRA

**कार्यालय टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।**

संख्या : 767/TTZ(PMU)/OA\_93/25/2025

दिनांक : 16 / 06 / 2025

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
आगरा।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण  
प्रकरण महत्वपूर्ण/समयबद्ध

विषय : मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-93/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में प्रतिवादी सं0-5 (मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण) की ओर से जबाव दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय के पत्रांक-763/TTZ(PMU)/OA\_93/25/2025 दिनांक 10.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेक्शन ऑफिसर, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के नोटिस दिनांक 06.06.2025, मा0अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 एवं एप्लीकेन्ट श्री जगन प्रसाद तेहरिया द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक दिसम्बर, 2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुये उक्त प्रकरण में निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रतिवादी सं0-5 (मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण) की ओर से प्रत्युत्तर/जबाव दाखिल कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में आप द्वारा मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित पत्रांक-8404 दिनांक 11.06.2025 द्वारा बिन्दुवार अद्यतन आख्या प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है जबकि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0-5 (मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण) की ओर से प्रत्युत्तर/जबाव एक माह के अन्दर दाखिल कराया जाना आवश्यक है, जैसा कि मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय के संदर्भित दिनांकित पत्र द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है।

पुनः उल्लेखनीय है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 27.05.2025 को निम्नवत् आदेश पारित किए गए हैं -

**"3. In view of this observation, Taj Trapezium Authority through Divisional Commissioner, Agra is impleaded as respondent no.5.**

**4. The Registry is directed to amend the memo of parties and to issue notice to the newly impleaded respondent no.5 requiring it to file its response within one month.**

**9. List on 30.07.2025 for further consideration."**

अतः मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय के संदर्भित पत्र दिनांक 10.06.2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुक्रम में प्रकरण की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में वृक्षों के अवैध पातन के उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं0-5 (मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण) की ओर से दाखिल किया जाने वाला प्रत्युत्तर/जबाव तत्काल तैयार कराकर मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उक्त निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में दिनांक 27.06.2025 से पूर्व अनिवार्य रूप से दाखिल कराना सुनिश्चित करें ताकि मा0अधिकरण के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। चूंकि प्रकरण समयबद्ध प्रकृति का है, इसलिए प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

*M. Gh.*  
16/06/2025

उपाध्यक्ष/सदस्य-संयोजक  
आ०वि०प्रा०/टी०टी०जैड०प्रा०

**प्रतिलिपि -**

1. मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी०टी०जैड०प्रा०, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपाध्यक्ष/सदस्य-संयोजक




| क्र०सं० | प्रजाति                            | टूठ गोलाई (से०मी० में) | प्रकृति |
|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| 1.      | पीपल                               | 225                    | वृक्ष   |
| 2.      | नीम                                | 67                     | वृक्ष   |
| 3.      | नीम                                | 98                     | वृक्ष   |
| 4.      | नीम                                | 108                    | वृक्ष   |
| 5.      | नीम                                | 100                    | वृक्ष   |
| 6.      | नीम                                | 99                     | वृक्ष   |
| 7.      | नीम                                | 93                     | वृक्ष   |
| 8.      | नीम                                | 280                    | वृक्ष   |
| 9.      | पापड़ी                             | 93                     | वृक्ष   |
| 10.     | पापड़ी                             | 75                     | वृक्ष   |
| 11.     | पापड़ी                             | 54                     | वृक्ष   |
| 12.     | पापड़ी                             | 125                    | वृक्ष   |
| 13.     | पापड़ी                             | 85                     | वृक्ष   |
| 14.     | पापड़ी                             | 88                     | वृक्ष   |
| 15.     | पापड़ी                             | 118                    | वृक्ष   |
| 16.     | पापड़ी                             | 67                     | वृक्ष   |
| 17.     | बेर                                | 145                    | वृक्ष   |
| 18.     | बेर                                | 130                    | वृक्ष   |
| 19.     | बेर                                | 116                    | वृक्ष   |
| 20.     | 20 से 25 प्रोसोपिस, पापड़ी व कोकाट | 0 से 1 व्यास वर्ग      | झाडियाँ |

नजरिया नक्शा

परिसर

पूर्व





## उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

03/Dec/2024 15:00:01

प्रश्न क्रमांक : 218433    प्रश्न का नाम (एनएम) : अक्षरों (दिना) (विचारणी)    शर्तीयतः : विचारणी    उत्तर : अना    शर्तीयतः नं : 1427-1432 (01 कृता, 2019 से 30 द, 2025)    प्रातः 1

नं : 1- / पृथी के सभ्यता पृथी के सभ्यता से है।    (1) जना संख्या : 00839

हिन्दी

| उत्तर/प्रश्न संख्या | उत्तर का विवरण  |   | पृथी का विवरण |                          | शर्तीयतः का सभ्य |  |  |       |
|---------------------|---|---|---------------|--------------------------|------------------|--|--|-------|
|                     | (2)   | (3)   | (4)           | (5)                      | (6)              | (7)  | (8)  | (9)   |
| 951दि0              | 1) उत्तर: प्रारंभ/विचारणी, ग्राम<br>2) केंद्र कुमायुतमसेवितान/अवका<br>3) प्रारंभ कुमायुतमसेवितान/अवका<br>4) री कुमायुतमसेवितान/अवका<br>5) समारं परीक<br>6) सार विर/ीकम विर/ी, ग्राम<br>7) विर/ी कुमायुतमसेवितान/अवका<br>8) सभ्यत डी वी/संकेत विर/ी, ग्राम<br>9) री/अवकासेत विर/ी, ग्राम | 2) सभ्यत का नाम / सभ्यत/ीय का संकेत<br>अथवा अक्षर संख्या / अक्षर का संकेत / की संख्या | 1384स0        | 951दि0/21843309512002121 | 0.8330           | 1) 1<br>1/8<br>2) 2<br>1/40<br>3) 3<br>1/40<br>4) 4<br>1/40<br>5) 5<br>1/40<br>6) 6<br>1/2 | 1) 1<br>0.1021<br>2) 2<br>0.0208<br>3) 3<br>0.0208<br>4) 4<br>0.0208<br>5) 5<br>0.0209<br>6) 6<br>0.4165 | 19.40 |

संसा उतः उत्तर की प्रसिदि (पुष्ट (गाट) के वार गत/विकथ भू-नक्शा/मापतय वरी) हेतु खरा संख्या पर कितक कां  
 Disclaimer: उतः अक्षरं प्रातः अतः अना है, उतः विचार अना है, शर्तीयतः कम्प्युट केन्द्र एम सी. प्रा सी/लेकागी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्रातः की जा सकती है।  
 Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC T ehsil Computer Centre.  
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा) P.S. (थाना): अछनेरा Year (वर्ष): 2024  
FIR No. (प्र.सू.रि. 0339 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 02/12/2024 21:18 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)   | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1               | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 4                   |
| 2               | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 10                  |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 02/12/2024 Date To (दिनांक तक): 02/12/2024  
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 02/12/2024 Time (समय): 21:18 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 051 Date &amp; Time (दिनांक और समय): 02/12/2024 21:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 02 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): गंगाधर कुशवाह काँलोनी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रेंज

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

| S.No. (क्र.सं.) | Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) | Id Number (पहचान संख्या) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1               |                                |                          |

(h) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)  |
|-----------------|------------------------------|--|
| 1               | वर्तमान पता                  | किरावली रेंज आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2               | स्थायी पता                   | किरावली रेंज आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल सं.):91-8433004997

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

## 7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):  
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

| S.No.(क्र. सं.) | Name (नाम)          | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता)                                     |
|-----------------|---------------------|---------------|------------------------------------|---|
| 1               | राकेश उर्फ धाधू     |               | पिता का नाम : लोहरे                | 1. नगला लालदास ,अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत  |
| 2               | काका                |               | पिता का नाम : लोहरे                | 1. नगला लालदास,अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत   |
| 3               | लाल सिंह            |               | पिता का नाम : टीकम सिंह            | 1. अछनेरा,अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत        |
| 4               | गंगाधर सिंह कुशवाह  |               | पिता का नाम : शिवचरन कुशवाह        | 1. ग्राम दौरेठा,कागारौल,पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत |
| 5               | बहादुर सिंह         |               | पिता का नाम : तुलाराम              | 1. मांगरौल जाट ,अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत  |
| 6               | भूपेन्द्र उर्फ भूपे |               | पिता का नाम : बने सिंह             | 1. गुडा ,किरावली,पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत        |

## 8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

## 9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S.No. (क्र. सं.) | Property Category (संपत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति का प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

## 10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

## 11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

## 12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी ..... सेवा में थानाध्यक्ष महोदय अछनेरा विषय-प्राथमिक सूचना रिपोर्ट हेतु महोदय, आज दिनांक 2/12/2024 को लगभग 2.30 बजे दोपहर को प्राप्त सूचना के आधार पर अछनेरा किरावली मार्ग बाई पटरी पर पेट्रोल पम्प के बगल में गंगाधर कुशवाह नाम की कॉलोनी में पेड काटे जाने की सूचना पर मौके पर अपने हमराह साथी शिवनारायन वनरक्षक को साथ लेकर पहुंचा तो देखा कि 1 वृक्ष पीपल गोलाई 225 cm मौके पर पड़ा है एवं नीम के 7 वृक्ष गोलाई क्रमशः 67,98,108,100,99,280 cm व पापडी के 8 वृक्ष जिसकी ठूठ गोलाई क्रमशः 93,75,54,125,85,88,118,67 cm तथा बेर के 3 वृक्ष जिसकी ठूठ गोलाई 145,130,116 cm के ठूठ मिले तथा मौके पर 0-1 व्यास वर्ग के प्रासोपिस पापडी व कोकाट आदि की लगभग 20-25 झाड़ियों को साफ किया गया है मौके पर पीपल का सम्पूर्ण प्रकाष्ठ व अन्य प्रजातियों के आंशिक प्रकाष्ठ बरामद कर फर्द तैयार की गई आस पास पता करने पर पता चला कि यह वृक्ष राकेश उर्फ धाधू s/o लोहरे निवासी नगला लालदास, काका s/o लोहरे नि. नगला लालदास, लाल सिंह s/o टीकम सिंह न0 अछनेरा, गंगाधर सिंह कुशवाह s/o शिवचरन कुशवाह नि, ग्राम दौरेठा थाना कागारौल, बहादुर सिंह s/o तुलाराम नि0 मांगरौल जाट, भूपेन्द्र उर्फ भूपे s/o बने सिंह नि. गुडा किरावली के द्वारा पेड काटे गये हैं महोदय यह क्षेत्र T.T.Z क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय की बिना अनुमति के वृक्षों का पातन एवं झाड़ियों की सफाई की गई है जो मा. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। महोदय उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है अतः अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करे दिनांक 2/12/2024 एसडी अंग्रेजी पुनीत प्रार्थी पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रंज मो.8433004997 नोट- मैं का0 2012 हरकेश सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द व कायमी अभियोग बोल बोल कर कम्प्यूटर पर अंकित कराई गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item  
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAGHVENDRA Singh Rank (पद): SI (Sub-Inspector)  
No. (to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the  
complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और  
R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant /  
informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का  
निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की  
दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS ACHHNERA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454402724

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 2/12/2024 को समय शाम 4 बजे  
 घटनास्थल अर्थात् दिल्ली मार्ग की पट्टी पर पेट्रोल पम्प के काले गंगाधर कुशवाह कोठारी  
 पर निम्नलिखित गवाहान की उपस्थिति में भारतीय वन अधिनियम की धारा 12  
 उ० प्र० प्राचीन वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के अधीन निम्नलिखित वन उपज/सम्पत्ति को  
 बरामद किया गया जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 12 का उ० प्र० वृक्ष संरक्षण  
 अधिनियम की धारा 14 के अधीन किए गए जंगल किमी प्रकाश का विवरण  
 निम्नलिखित है।  
 (अपराध का संक्षिप्त विवरण) अपराध के अंतर्गत  
 अभिगृहीत किए जाने योग्य है।

बरामद की गई सम्पत्ति का ब्यौरा

वन उपज/प्रगाण्ड/गैर सरकारी सम्पत्ति (अवैध खले तथा अन्य कागजात सहित)

| क्र.सं. | प्रजाति    | गोलाई cm   | लम्बाई |
|---------|------------|------------|--------|
| 1       | पीपल       | 218 cm     | 195 cm |
| 2       | पीपल       | 137 cm     | 187 cm |
| 3       | पीपल       | 152 cm     | 186 cm |
| 4       | पीपल       | 83 cm      | 191 cm |
| 5       | पीपल       | 118 cm     | 116 cm |
| *       | इथिन लकड़ी | 5 क्वीन्टल |        |

प्रकट (हस्ताक्षर, नाम, वलियत, पूरा पता/  
 यदि सरकारी कर्मचारी हो तो हस्ताक्षर  
 नाम व पद तारीख सहित)

- 1. पुनीत वलियत वनरक्षक - Punit
- 2. अनिल कुमार राम वनरक्षक - Anil
- 3. शिवनारामन वनरक्षक - Shivanaraman
- 4.

बरामद करने वाले अधिकारी  
 के हस्ताक्षर नाम, पद

दामोदर सिंह → Damodar Singh  
 वन प्रशासक  
 मो - 9012377125

दिनांक 2/12/2024

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज मूमि क्षेत्र, खण्ड (डिवीजन).....

उ०प्र० ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10

अन्य अपराध ..... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०..... दिनांक 2/12/2024 अधिक्षेत्र राजि. किरावली

1- नाम, पिता का नाम और निवास - स्थान

① राकेश उन्नीचाडू s/o लोहरे नि. नगला लालदास अछनेरा

② काका s/o लोहरे नि. नगला लालदास अछनेरा

③ लाल सिंह s/o लक्ष्म सिंह नि. स्टेशन रोड अछनेरा

④ गंगाधर सिंह कुरावाडू s/o शिवचरन नि. ग्राम लोरेठा कागारौल

⑤ कदापुर सिंह s/o मंगिरौल जाट अछनेरा

⑥ शंभु उन्नीचाडू s/o बने सिंह नि. गुडा किरावली

2- साक्षी का नाम

श्री शिवनारायण कदरगो

3- कथित - अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

दिनांक 2/12/2024 को 3 वृक्ष पापड़ी, 2 वृक्ष नीम, 3 वृक्ष केर, 1 वृक्ष पीपल का अर्पण रूप अछनेरा कदरगो में पातन।

4- मूल्य 52600=∞

आयतन - 16.000 मी.3

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

महोदय,

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

श्री रामोदर सिंह कदरगो

उक्त केस की जांच कर आख्या इस भाषात्मक में प्रस्तुत करें।

A

क्षेत्रीय वनाधिकारी किरावली रेंज

सा 10 वा 10 प्रमाण, आगरा

आज दिनांक 2/12/2024 को समय दोपहर 2:30 को लगभग प्रात सूचना के आधार पर हमराह श्री शिवनारायण कदरगो को साथ लेकर अछनेरा-किरावली मार्ग पर 200 पेड़ो लक्ष्म के काल में गंगाधर कुरावाडू नाम की कोसोनी में पेड़ काटे जाने की सूचना पर पहुँचे तो देखा कि 1 वृक्ष पीपल का मिस्की गोलाई 225 cm मोने पर कटा मिला एवं नीम के 2 वृक्ष मिस्की 8 वृक्ष मिस्की 8 वृक्ष गोलाई क्रमशः 93, 75, 54, 125, 85, 88, 110, 67 cm तथा केर के 3 वृक्ष मिस्की 8 वृक्ष गोलाई क्रमशः 145, 130, 116 cm के वृक्ष मोने पर मिले तथा उस स्थल पर 0-1 व्यास वर्ग की प्रोसोपिस, पापड़ी व कोकाट आदि की लगभग 20-25 भाण्डियाँ को साफ किया गया है। मोने पर मिले पीपल के पेड़ के छुरी प्रकाष्ट व अन्य प्रजातियों के वृक्षों के आंशिक प्रकाष्ट को बरामद कर जर्दी तैयार की गई। आस-पास के लोगों से बृक्ष काट करने पर पता लगा कि उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा ही इन पेड़ों को काटा गया है। प्रोसोपिस को बरामद कर जर्दी तैयार की गई। आस-पास के लोगों से बृक्ष काटने पर पता लगा कि उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा ही इन पेड़ों को काटा गया है। कोसोनी में सुरक्षित रखा गया है इस कृत्य के लिए घाना अछनेरा में FIR N. 0339 पंजीकृत कराया गया है। महोदय उक्त क्षेत्र T.T. 2 के अन्तर्गत आता है जिसमें मा. सर्वेक्षण-मालाम की बिना अनुमति के हरे वृक्षों का पातन करना प्रतिबंधित है। उक्त अभियुक्तों ने उ०प्र० ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है। कृपया उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त धाराओं में केस पंजीकृत करने की कृपा करें। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में इत्यन्तार्थ एवं अपेक्षक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भाषी

पिपल

कुली पहाड़क पत्रिका कीट - 2

क्रम-संख्या-3



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-  
डब्ल्यू०/एन०पी०-91/2014-16  
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 24/81-5-2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०-2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैंथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली/करधई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2-प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3-निपातित किये जाने वाले वृक्षों और (निपातित किये गये वृक्षों के बदले में) रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4-वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5-उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93  
Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31<sup>st</sup> December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission from the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,  
SUDHIR GARG,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 549 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1335)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पर्यावरण-2020-(1336)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

# कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



## नोटिस

दिनांक... 10-12-2024

सेवा में,

नाम श्री रमेश चंद्र सिंह उर्फ श्रुते पुत्र श्री बने सिंह  
 निवासी गुडा किरावली पोस्ट किरावली  
 थाना किरावली जिला अजमेर

संदर्भ:- रेंज केस सं- 17/किरावली/2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 तक वन क्षेत्र/ग्राम 100 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत में अनाधिकृत रूप से 8 मीटर 7-मीटर 3-मीटर वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/ग्रामीण कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  
 क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 किरावली रेंज

# कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



## नोटिस

सेवा में.

दिनांक 10-12-2024

नाम श्री बहादुर सिंह

पुत्र श्री तुलाग्र

निवासी गौगरी ल जाट

पोस्ट अटनेरा

थाना अटनेरा

जिला अजमेर

संदर्भ:-

रेंज केस सं०- 17/ क्रि० / 2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पैट्रोल पम्प के पास जंगल का क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से 8 पापड़, 7-पिंज, 3 बेर, 1 पीपल के अतिरिक्त अन्य वृक्ष वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  
 क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 किरावली रेंज

# कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



## नोटिस

सेवा में,


दिनांक 16-12-2024

नाम श्री जंगलदा सिंह कुशवाहा पुत्र श्री शिव चरण  
 निवासी ग्राम दौरेडा पोस्ट दौरेडा  
 थाना काशीगोल जिला उत्तरांचल

संदर्भ:- रेंज केस सं०- 17/ मि. / 2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 में अनाधिकृत रूप से 8 पापड़, 7 नीम, 3 केर, 1 किलो के 3 वैद्युत रूप में लकड़ा वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  
 क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 किरावली रेंज

# कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



## नोटिस

दिनांक 10-12-2024

सेवा में,

नाम श्री भोला सिंह पुत्र श्री दाऊद सिंह

निवासी स्टेशन रोड अहमदाबाद पोस्ट अहमदाबाद

थाना अहमदाबाद जिला अहमदाबाद

सदस्य- रेंज केस सं०- 17/क्रि.सं. 1/2024/05

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पैटेल वन क्षेत्र, अहमदाबाद में अनाधिकृत रूप से 8 पापड़, 7 नीम, 3 बेल, 1 पीपल को अवैध रूप में अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 14-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय क्रि.सं. 1/2024/05 पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र गृहा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
किरावली गेज

# कार्यालय रेंज फोरेंस्ट ऑफिसर



## नोटिस

दिनांक 10-12-2024

सेवा में,

नाम श्री काका

पुत्र श्री लोहर

निवासी नाला लोकदास

पोस्ट शारदा

थाना अट्टेनरा

जिला अराकान

संदर्भ:-

रेंज केस सं०- 17/सि०/2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पैट्रोल पथ के पास गंगादास कले में अनाधिकृत रूप से 8 फुट, 7-मीटर, 3-मीटर, 1-मीटर के अनेक स्तंभिक वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रमाणीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

काका  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
किरावली रेंज

# कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



## नोटिस

दिनांक 16-12-2024

सेवा में

नाम श्री राजेश उर्फ होंदा पुत्र श्री लोहर  
निवासी बालावा पोस्ट राजवा  
थाना अदुनेरा जिला अजमेर

संदर्भ:- रेंज केस सं०- 17/किरा०/2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय टापहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पेंडेल पत्तों के पास जंगल में अनाधिकृत रूप से 8 पापड़ी, 7 नीम 3 बेर, 1 जिलकरी उद्वेद्य रूप में वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र गृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
किरावली रेंज

# कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफिसर



## नोटिस

दिनांक 16-12-2024

संवा में

नाम श्री जोगादा सिंह कुंसावट

पुत्र श्री शिव चरन

निवासी ग्राम दैरेडा

पोस्ट दैरेडा

थाना भागासोल

जिला आगरा

संदर्भ:- रेंज केस सं- 17/ क्रि.अ./ 2024-25

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 2-12-2024 को समय दोपहर 2:30 बजे वन क्षेत्र/ग्राम 100 पैट्रोल पथ के पास जोगादा कुंसावट में अनाधिकृत रूप से 2.12.8 पापड़, 7 मीम, 3 वेर, 1 बीपल के अनाधिकृत रूप से वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16-12-2024 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभाषी कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
किरावली रेंज

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

**FINAL FORM/ REPORT**  
अंतिम फार्म/रिपोर्ट  
(Under Section 193 B.N.S.S.)  
( धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत )  
IN THE COURT OF : मा० न्यायालय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा)  
P.S. (थाना): अछनेरा Year(वर्ष): 2024  
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0339 Date(दिनांक): 02/12/2024
2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01
3. Date(दिनांक): 22/12/2024
4. S.No. Acts(अधिनियम) Sections(धाराएँ)
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4  |  |
| 2 | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10 |  |
5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र  
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):
6. If FR Unoccurred  
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. If Charge sheet मूल  
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

Case No. 1/2025  
अवलोकन रिपोर्ट  
सजावट रिपोर्ट  
एवं रिपोर्ट है।  
AC 28/12/2025

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet

RAGHVENDRA Singh

(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.):

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):

श्री पुनीत पाल बघेल वनरक्षक किरावली रेंज

(b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

| S. No      | Property Description | Estimated Value (in Rs.)  | Police Station Property Register No. | From whom/ where recovered or seized | Disposal  |
|------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| (क्र. सं.) | (सम्पत्ति का विवरण)  | (अनुमानित मूल्य (रु.में)) | (थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)          | (कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)   | (निराकरण) |

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name राकेश उर्फ धाधू

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लोहरे

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 05/10/1984

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Address Type<br>(पता का प्रकार) | Address(पता)  |
|--------------------|---------------------------------|---|
| 1                  | वर्तमान पता                     | नगला लालदास , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),<br>उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | स्थायी पता                      | नगला लालदास , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),<br>उत्तर प्रदेश, भारत |

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि जात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts &amp; Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)  | Sections (धाराएँ) |
|--------------------|---|-------------------|
| 1                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों<br>का संरक्षण अधिनियम 1976 | 4                 |
| 2                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों<br>का संरक्षण अधिनियम 1976 | 10                |

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address(पता) |
|-----------------|------------------------------|--------------|
|-----------------|------------------------------|--------------|

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

| S.No.(क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान पत्र सं.) |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|----------------|--------------------------------|----------------------------|

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name काका

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लोहरे

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 20/03/1992

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Address Type<br>(पता का प्रकार ) | Address(पता)   |
|--------------------|----------------------------------|--|
| 1                  | वर्तमान पता                      | नगला लालदास, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),<br>उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | स्थायी पता                       | नगला लालदास, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),<br>उत्तर प्रदेश, भारत |

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts &amp; Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Acts(अधिनियम )  | Sections(धाराएँ) |
|--------------------|---|------------------|
| 1                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों<br>का संरक्षण अधिनियम 1976 | 4                |
| 2                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों<br>का संरक्षण अधिनियम 1976 | 10               |

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

| S.No.     | Address Type    | Address(पता) |
|-----------|-----------------|--------------|
| (क्र.सं.) | (पता का प्रकार) |              |

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

| S.No.(क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान पत्र सं.) |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|----------------|--------------------------------|----------------------------|

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name लाल सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): टीकम सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 01/01/1953

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Address Type<br>(पता का प्रकार) | Address (पता)  |
|--------------------|---------------------------------|--|
| 1                  | वर्तमान पता                     | अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | स्थायी पता                      | अछनेरा, अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts &amp; Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)   | Sections (धाराएँ) |
|--------------------|--|-------------------|
| 1                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 4                 |
| 2                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 10                |

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. Address Type

Address(पता)

(क्र.सं.) (पता का प्रकार)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name बहादुर सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): तुलाराम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 01/01/1964

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Address Type<br>(पता का प्रकार) | Address(पता)   |
|--------------------|---------------------------------|--|
| 1                  | वर्तमान पता                     | मांगरौल जाट , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | स्थायी पता                      | मांगरौल जाट , अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts &amp; Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Acts(अधिनियम)  | Sections(धाराएँ) |
|--------------------|--|------------------|
| 1                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 4                |
| 2                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 10               |

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address(पता) |
|-----------------|------------------------------|--------------|
|-----------------|------------------------------|--------------|

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

| S.No.(क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान पत्र सं.) |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|----------------|--------------------------------|----------------------------|

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name भूपेन्द्र उर्फ भूपे

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): बने सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 05/10/1984

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Address Type<br>(पता का प्रकार) | Address(पता)   |
|--------------------|---------------------------------|--|
| 1                  | वर्तमान पता                     | गुडा , किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | स्थायी पता                      | गुडा , किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Acts(अधिनियम)  | Sections(धाराएँ) |
|--------------------|--|------------------|
| 1                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 4                |
| 2                  | उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 | 10               |

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address(पता) |
|-----------------|------------------------------|--------------|
|-----------------|------------------------------|--------------|

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

| S.No.(क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान पत्र सं.) |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|----------------|--------------------------------|----------------------------|

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name गंगाधर सिंह कुशवाह  
(नाम):

Whether verified हाँ  
(क्या सत्यापित है?):

(ii) Father 's Name (पिता का शिवचरन कुशवाह

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1965

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.  
जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Address Type (पता<br>का प्रकार) | Address(पता)  |
|--------------------|---------------------------------|---|
| 1                  | वर्तमान पता                     | ग्राम दौरेठा, कागारौल, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | स्थायी पता                      | ग्राम दौरेठा, कागारौल, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत |

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved नहीं  
(संदेह अनुमोदित):(xii) Status of the accused (suspect) गिरफ्तार नहीं  
(अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति):

(xiii) Under Acts &amp; Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting  
(आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष  
अभ्युक्ति): साक्ष्य के अभाव में13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए  
जाने वाले गवाहों का विवरण):

| S. No         | Name/<br>Mob No                                  | Father's/<br>Husband's<br>name | Date/<br>Year<br>of<br>birth | Occupat<br>ion | Address  | Type of<br>evidence to<br>be tendered            |
|---------------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| (क्र.<br>सं.) | (नाम/<br>मो० नं०)                                | (पिता/पति का<br>नाम)           | (जन्म<br>तिथि<br>/वर्ष)      | (व्यवसाय)      | (पता)  | (प्रस्तुत किए जाने<br>वाले साक्ष्य का<br>प्रकार) |
| 1             | श्री पुनीत पाल<br>बघेल वनरक्षक<br>किरावली रेंज / |                                | 1984                         |                | वर्तमान पता: किरावली रेंज<br>आगरा, किरावली, पश्चिमी<br>(कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, | शिकायतकर्ता                                      |

|   |  |                         |  |   |                    |
|---|--|-------------------------|--|---|--------------------|
|   | 8433004997                             |                         |  | भारत<br>स्थायी पता: किरावली रेंज<br>आगरा, किरावली, पश्चिमी<br>(कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश,<br>भारत   |                    |
| 2 | का0 2012<br>हरकेश /<br>7983496725      |                         |  | वर्तमान पता: थाना अछनेरा,<br>अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत<br>स्थायी पता: थाना अछनेरा,<br>अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत   | प्राथमिकी साक्ष्य  |
| 3 | श्री दामोदर /<br>9012377125            | पिता: गंगाधर<br>सिंह    |  | वर्तमान पता: वन विभाग<br>किरावली रेंज वन दरोगा, ग्राम<br>बारा थाना मलपुर, आगरा,<br>अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत<br>स्थायी पता: वन विभाग<br>किरावली रेंज वन दरोगा, ग्राम<br>बारा थाना मलपुर, आगरा,<br>अछनेरा, पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत | चक्षुदर्शी साक्ष्य |
| 4 | श्री अनिल कुमार<br>राय /<br>9368261850 | पिता: श्री विजय<br>सिंह |  | वर्तमान पता: तैनात वन विभाग<br>किरावली रेंज, ग्राम परखम थाना<br>फरह मथुरा, अछनेरा, पश्चिमी<br>(कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश,<br>भारत<br>स्थायी पता: तैनात वन विभाग<br>किरावली रेंज, ग्राम परखम थाना<br>फरह मथुरा, अछनेरा, पश्चिमी<br>(कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश,<br>भारत           | चक्षुदर्शी साक्ष्य |
| 5 | शिवनारायण /<br>6397671271              | पिता: धर्मवीर<br>सिंह   |  | वर्तमान पता: फोरेस्ट गार्ड<br>किरावली, गुहेता सात विसा<br>थाना कोसी कला, अछनेरा,<br>पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर<br>प्रदेश, भारत<br>स्थायी पता: फोरेस्ट गार्ड<br>किरावली, गुहेता सात विसा<br>थाना कोसी कला, अछनेरा,<br>पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर<br>प्रदेश, भारत               | चक्षुदर्शी साक्ष्य |

|    |                                   |                            |   |                 |
|----|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 6  | कृष्ण कुमार शाक्य /<br>8006543011 | पिता: श्री<br>भगवानस्वरूप  | वर्तमान पता: अछनेरा,म0न0<br>1780 मौहल्ला बजहेरा,<br>अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत<br>स्थायी पता: अछनेरा,म0न0<br>1780 मौहल्ला बजहेरा,<br>अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत                   | अन्य गवाह       |
| 7  | पंकज /<br>9808141508              | पिता: मोहन सिंह            | वर्तमान पता: अछनेरा,मौहल्ला<br>मोहन गिरारा,अछनेरा,पश्चिमी<br>(कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,<br>भारत<br>स्थायी पता: अछनेरा,मौहल्ला<br>मोहन गिरारा,अछनेरा,पश्चिमी<br>(कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,<br>भारत                             | अन्य गवाह       |
| 8  | दिनेश कुमार /<br>9058833947       | पिता: देव प्रकाश<br>कुशवाह | वर्तमान पता: अछनेरा,स्टेशन<br>रोड मोहल्ला बजहेरा, अछनेरा,<br>पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर<br>प्रदेश,भारत<br>स्थायी पता: अछनेरा,स्टेशन रोड<br>मोहल्ला बजहेरा, अछनेरा,<br>पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर<br>प्रदेश, भारत              | अन्य गवाह       |
| 9  | संजय /<br>8859801687              | पिता: रतन लाल              | वर्तमान पता: नेकराम जूनियर<br>हाईस्कूल के पास,मौ0 बजहेरा,<br>अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत<br>स्थायी पता: नेकराम जूनियर<br>हाईस्कूल के पास,मौ0 बजहेरा,<br>अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत | अन्य गवाह       |
| 10 | राघवेन्द्र सिंह /<br>7017565320   | :                          | वर्तमान पता: थाना अछनेरा,<br>अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत<br>स्थायी पता: थाना अछनेरा,<br>अछनेरा,पश्चिमी (कमिश्नरेट<br>आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत   | अनुसंधान साक्षी |

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken  
u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के  
अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

**15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):****16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):**

श्रीमान जी उक्त अभियोग श्री पुनीत बघेल वनरक्षक किरावली रेंज आगरा द्वारा दिनांक 02/12/2024 को तहरीरी सूचना के आधार पर अछनेरा किरावली मार्ग पर बाई पटरी पर पेट्रोल पंप के बगल में गंगाधर सिंह कुशवाह की नाम की कालोनी में पेड़ काटे जाने की सूचना पर मौके पर अपने हमराह साथी शिवनारायन वनरक्षक को साथ लेकर पहुंचा तो देखा कि 1 वृक्ष पीपल गोलाई 225 cm मौके पर पड़ा है एवं नीम के 7 वृक्ष गोलाई क्रमशः 67,98,108,100,99,280 cm व पापड़ी के 8 वृक्ष जिसकी रूठ गोलाई क्रमशः 93,75,54,125,85,88,118,67 cm तथा बेर के 3 वृक्ष जिसकी रूठ गोलाई 145,130,116 cm के रूठ मिले तथा मौके पर 0, 1 व्यास वर्ग के प्रासोपिस पापड़ी व कोकाट आदि की लगभग 2025 झाड़ियों को साफ किया गया है मौके पर पीपल का सम्पूर्ण प्रकाष्ठ व अन्य प्रजातियों के आंशिक प्रकाष्ठ बरामद हुये जिसकी फर्द तैयार की गई आस पास पता करने पर पता चला कि यह वृक्ष 1. राकेश उर्फ धांधू s/o लोहरे निवासी नगला लालदास, 2. काका s/o लोहरे नि. नगला लालदास, 3. लाल सिंह s/o टीकम सिंह नि0 अछनेरा, 4. गंगाधर सिंह कुशवाह s/o शिवचरन कुशवाह नि0 ग्राम दौरेठा थाना कागारौल, 5. बहादुर सिंह s/o तुलाराम नि0 मांगरौल जाट, 6. भूपेन्द्र उर्फ भूपे s/o बने सिंह नि0 गुडा थाना किरावली हालपता शीलाकुंज नई आबादी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा के द्वारा पेड़ काटे गये है। महोदय यह क्षेत्र T.T.Z क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय की बिना अनुमति के वृक्षों का पातन एवं झाड़ियों की सफाई की गई है जो मा. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। महोदय उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है। उक्त अभियोग थाना हाजा पर पंजीकृत होकर विवेचना मुद्दा उ0नि0 के सुपुर्द हुई। विवेचना के मध्य बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल करने के उपरान्त वादी से काटी गयी लकड़ी की फर्द बरामदगी आदि प्राप्त की गयी। फर्द के अनुसार काटी गयी लकड़ी वन विभाग के पास जमा कराना पाया गया। अब तक की विवेचना बयान गवाह निरीक्षण घटनास्थल एवं बयान स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर तमामी विवेचना से अभियुक्त 1. राकेश उर्फ धांधू पुत्र लोहरे नि0 नगला लालदास थाना अछनेरा आगरा, 2. काका s/o लोहरे नि0 नगला लालदास थाना अछनेरा आगरा, 3. लाल सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह नि0 अछनेरा आगरा, 4. बहादुर सिंह पुत्र तुलाराम नि0 मांगरौल जाट थाना अछनेरा आगरा, 4. भूपेन्द्र उर्फ भूपे पुत्र बने सिंह नि0 ग्राम गुडा थाना किरावली हालपता शीलाकुंज नई आबादी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा के विरुद्ध धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष अधिनियम 1976 के अंतर्गत अपराध बखूबी प्रमाणित है। आरोपी गंगाधर सिंह कुशवाह पुत्र शिवचरन सिंह कुशवाह नि0 दौरेठा थाना कागारौल आगरा हाल पता म0न0 273/9 आवास विकास कालोनी थाना सिकन्दरा आगरा के विरुद्ध चालान योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण नाम विवेचना से पृथक किया गया। शेष अभियुक्तगण 01. राकेश उर्फ धांधू पुत्र लोहरे, 02. काका पुत्र लोहरे, 03. लाल सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह, 04. भूपेन्द्र उर्फ भूपे पुत्र बने सिंह, 05. बहादुर सिंह पुत्र तुलाराम उपरोक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान आरोप पत्र सं0 288 /24 दिनांक 22/12/2024 को माननीय

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सबूत तलब फरमाकर दण्डित करने की कृपा करें। विवेचना समाप्त की जाती है।

17. Refer Notice served नहीं  
(जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 22/12/2024

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20. List of enclosures : As annexed(संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं। चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age / मफरुर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म (A))

25ग. Punishment (सज़ा) :

Pu  
22-12-2024

Forwarded by Officer in Charge  
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिपित)

Name (नाम): PS ACHHNERA

Rank (पद): COMMISSIONERATE AGRA  
(Inspector)

PNO/CUG No. 9454402724  
पीएनओ/सीयूजी सं:

Signature of Investigating Officer submitting  
final report/charge sheet  
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच  
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAGHVENDRA Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.

पीएनओ/सीयूजी सं:

To CC

RL  
ACP(A)

Department, वृज प्रमि सेवा आगरा Circle, Uttar Pradesh. प्रति हस्ताक्षरित

No 2652 M.

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
उप प्रभाग, आगरा

श्री लाल सिंह FOREST DIVISION आगरा  
098290

Received from श्री लाल सिंह 200000 = 00 (दो लाख रुपये मात्र)  
श्री लाल सिंह के स्टेशन टोप अद्वे

Account of रेज केस संख्या 17 / किरावली / 2024-25 की प्रतिकर  
की धन-रकम आद की।

27/05/2025

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
Forest Officer.  
किरावली रेज  
उप प्रभाग, आगरा

01 Forest-5.7.2017-1000 Books (D.T.P./Offset).

भारतीय स्टेट बैंक  
State Bank of India  
जारी करने वाली शाखा  
Issuing Branch: ACB ACHNERA  
कोड क्रं / CODE No: 06343  
Tel No.

मांगड़ाफ्ट  
DEMAND DRAFT

Key: SUFJUW  
Sr. No: 156665

2 7 0 5 2 0 2 5  
D D M M Y Y Y Y

A/C Payee

मांगे जानेपर PRABHAGIY NIDESHAK SAMAJIK VA NIKI PRABHAG AGRA\*\*\*\*\*

या उनके आदेश पर  
OR ORDER

ON DEMAND PAY  
रुपय RUPEES One Lakh Twenty Five Thousand Only

अदा करें ₹ 125000.00

IOI 000446337046  
Name of Applicant

Key: SUFJUW Sr. No: 156665  
Lal Singh

AMOUNT BELOW 125001(0/6)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक  
STATE BANK OF INDIA  
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: AGRA MAIN BRANCH  
कोड क्रं. / CODE No: 00602

Authorised Signatory  
Authorised Signatory  
AGRA  
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000- & ABOVE MAY BE ISSUED ONLY BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध  
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

काल 3 महीने के लिए वैध  
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

337046 0000020001 000446 16

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 13381/1984

M.C. MEHTA

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA &amp; ORS.

Respondent(s)

((1) IA NO. 99054 AND 99055/2024 (APPLNS. FOR PERMISSION AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O UPSIDA) AND IA NO. 31946/2024 (APPLN. FOR PERMISSION ON B/O OF NORTH CENTRAL RAILWAY, AGRA) (2) CEC REPORT NO. 17 OF 2024 AND CEC REPORT NO. 34 OF 2024 IN CEC REPORT NO. 17 (3) IN RE: UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT, 1976 (4) IN RE: TREE CENSUS (5) CEC REPORT NO.31/2024 (6) IA NO. 64225/2022 (APPLN. FOR CLARIFICATION ON BEHALF OF ARUN KR. GUPTA) (7) CEC REPORT NO. 3 OF 2025 (8) IA NOS. 32568 AND 33549 OF 2025 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON BEHALF OF ASHOK) "ONLY" IN W.P. (C) NO. 13381/1984 ARE LISTED. "ONLY" NAMES OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST. PETITIONER-IN-PERSON MR. A.D.N. RAO, SR. ADVOCATE (A.C.) MR. LIZ MATHEW, SR. ADV. (A.C.) MR. SIDDHARTHA CHOWDHURY, ADV. (A.C.) MS. AAKASHI LODHA, AOR MS. KESHVI ARYA, Adv. MR. AMRISH KUMAR, MR. M.K. MARORIA, MR. G.S. MAKKER, MR. VIJAY PANJWANI, MR. ANKIT GOEL, MR. KAMLENDRA MISHRA MR. SAURABH MISRA, MR. GUNTRUR PRAMOD KUMAR, MR. CHITRANSHUL A. SINHA, MR. VIVEK NARAYAN SHARMA, MR. PUSHKAR SHARMA, M.V. KINI AND ASSOCIATES, MR. L.R. SINGH, MS. RAJ KUMARI BANJU, M/S. MEHARIA AND COMPANY, (6) MR. RAJKUMARI BANJU, MR. PRAVEEN SWARUP, (7) MR. AJIT SHARMA)

Date : 13-05-2025 This petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE UJJAL BHUYANMr. A.D.N. Rao, Sr. Advocate (A.C.)  
Mr. Liz Mathew, Sr. Adv. (A.C.)  
Mr. Siddhartha Chowdhury, Adv. (A.C.)  
Ms. Aakashi Lodha, AOR

For the parties:

Mrs. Aishwarya Bhati, A.S.G.  
Ms. Ruchi Kohli, Sr. Adv.  
Mr. Mukesh Kumar Maroria, AOR  
Ms. Shivika Mehra, Adv.  
Ms. Aastha Singh, Adv.  
Mrs. Rajeshwari Shankar, Adv.

## 342

Mr. Sarthak Karol, Adv.  
Mr. Jagdish Chandra Solanki, Adv.  
Mr. T.S Sabarish, Adv.  
Mr. Chitvan Singhal, Adv.  
Mr. Padmesh Mishra, Adv.  
Mr. Sudarshan Lamba, AOR  
Mr. Amrish Kumar, AOR  
Mr. Shreekant Neelappa Terdal, AOR

Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.  
Mr. Rajeev Kumar Dubey, Adv.  
Ms. Poornima Singh, Adv.  
Mr. Ashiwan Mishra, Adv.  
Mr. Kamendra Mishra, AOR

Petitioner-in-person

Applicant-in-person

Mr. Atishi Dipankar, AOR

Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Mr. Sudeep Kumar, AOR

Mr. Ankur Prakash, AOR

Mr. Lakshmi Raman Singh, AOR

Mr. Ajit Sharma, AOR  
Mr. Kanchan Kumar, Adv.  
Mr. Akshat Sharma, Adv.  
Mr. Amrit Pradhan, Adv.  
Mr. Yuvrajsinh C. Solanki, Adv.  
Mr. Lareb Habib Ansari, Adv.

M/S. Lawyer S Knit & Co, AOR

Mrs. Rachana Joshi Issar, AOR

Mr. Kishan Chand Jain, Adv.  
Mr. Ashwini Kumar, Adv.  
Mr. Rajesh Kumar, Adv.  
Mr. E. C. Agrawala, AOR

Dr. Mrs. Vipin Gupta, AOR

Mr. Prashant Kumar, AOR

Mr. Rajiv Tyagi, AOR

Mr. Ajay K. Agrawal, AOR

Mr. Shiv Prakash Pandey, AOR

Mr. Sudhir Kulshreshtha, AOR

Mr. P. K. Manohar, AOR

Mr. Pradeep Misra, AOR  
Mr. Daleep Dhyani, Adv.  
Mr. Anupam Misra, Adv.  
Mr. Suraj Singh, Adv.

Mr. P. Parmeswaran, AOR

Mr. P. Narasimhan, AOR

M/S. Manoj Swarup And Co., AOR

Dr. Sumant Bharadwaj, Adv.  
Mr. Vedant Bharadwaj, Adv.  
Ms. Mridula Ray Bharadwaj, AOR  
Mr. Rakesh Kailash Sharma, Adv.

Mr. Badri Prasad Singh, AOR

M/S. Meharia & Company, AOR

Mr. Ankit Goel, AOR

Mr. Zoheb Hossain, AOR

Mr. A.N.S Nadkarni, Sr. Adv.  
Ms. Ruchira Gupta, Adv.  
Mr. Shishir Deshpande, AOR  
Ms. Pooja Tripathi, Adv.  
Mr. Amit Kumar, Adv.  
Mr. Abhishek Verma, Adv.

Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Mr. Arvind Gupta, AOR

Mr. Shantanu Bansal, AOR

Mr. Vivek Kohli, Sr. Adv.  
Mr. Bharat Malhotra, Adv.  
Ms. Savita Singh, AOR  
Mr. Mohit Singhal, Adv.

Mr. Jogy Scaria, AOR

Mr. Guntur Pramod Kumar, AOR  
Mr. Keshav Singh, Adv.  
Mr. B.P. Naidu, Adv.

Mr. Rajeev Kumar Dubey, AOR

Mr. Adarsh Tripathi , AOR

Mr. Sunny Choudhary, AOR

Mr. Siddhartha Chowdhury, AOR

Mr. Saurabh Mishra, AOR  
Mr. Shrimay Mishra, Adv.  
Mr. Rakesh Chander, Adv.

Mr. Ashutosh Dubey, AOR  
Mrs. Rajshri Dubey, Adv.  
Mr. Abhishek Chauhan, Adv.  
Mr. H.B. Dubey, Adv.  
Mr. Amit P. Shahi, Adv.  
Mr. Amit Kumar, Adv.  
Mr. Rahul Sethi, Adv.  
Mr. Shashi Bhushan Nagar, Adv.  
Mr. Manish Dhingra, Adv.  
Mrs. Sona Khan, Adv.  
Mr. Sumant Akram Khan, Adv.  
Mr. Rajendra Anbhule, Adv.  
Ms. Chanda Trikha, Adv.

Mr. Chitranshul A. Sinha, AOR  
Ms. Pallavi, Adv.  
Mr. Shivam Shorewala, Adv.  
Ms. Rakshita Bhargava, Adv.

Ms. Aakashii Lodha , AOR

Mr. Ankur Prakash, AOR

Mr. Virag Gupta, Adv.  
Ms. Rupali Panwar, Adv.  
Mr. Shubham Gupta, Adv.  
Mr. Vishal Arun Mishra, AOR

Mr. Vivek Narayan Sharma, AOR  
Ms. Shruti Priya Mishra, Adv.  
Ms. Mahima Bhardwaj Kaluch, Adv.  
Mr. Dinesh Sharma, Adv.

Mr. Saurabh Yadav, AOR

Mr. Gaurav Goel, AOR

Ms. Udit Singh, AOR

M/S. Gsl Chambers, AOR

Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.

Ms. Neetika Sharma, Adv.

Ms. Saloni Jagga, Adv.

Mr. Tavinder Sidhu, Adv.

For M/S. M. V. Kini & Associates, AOR

Mr. Arjun Nanda, AOR

Mr. Arvind Kumar Sharma, AOR

Mr. Gaurav Goel, AOR

Ms. Aparna Bhat, Sr. Adv.

Ms. Rajkumari Banju, AOR

Mr. Dr. Rajeev Sharma, AOR

Mr. Shantanu Krishna, AOR

Mr. Ankit Mishra, Adv.

Mr. Ashish Kumar Singh, Adv.

Mr. Alok Kumar, Adv.

Mr. Saksham Maheshwari, AOR

Mr. Pushkar Sharma, AOR

Mr. Sumeer Sodhi, AOR

Ms. Sandali Sharma, Adv.

Mr. Abhinav Agrawal, AOR

Mr. Seshatalpa Sai Bandaru, AOR

Mr. Sanjeev Kumar Choudhary, Adv.

Mrs. Shradha Choudhary, Adv.

Mrs. Rinky Rani, Adv.

Mr. Gaurav Dhingra, AOR

Mr. Praveen Swarup, AOR

Mr. Vivek Pathak, Adv.

Mr. Devesh Maurya, Adv.

Mr. Ravi Kumar, Adv.

Mr. Hari Sahteshwar, Adv.

Ms. Mayuri Raghuvanshi, AOR

Mr. Abhijit Banerjee, AOR

Mr. Prashant , AOR

Mr. Abhinav Shrivastava, AOR

Ms. Saroj Tripathi, AOR

Mr. Manoj K. Mishra, AOR

Mr. Umesh Dubey, Adv.

Ms. Madhulika, Adv.

Ms. Vuzmal Nehru, Adv.

Mr. Ashish Kumar Mishra, Adv.

Mr. Anand Kumar Rai, Adv.

Ms. Shweta Sharma, AOR

Mr. Abhishek Chaudhary, AOR

Mr. Syed Abdul Haseeb, AOR

Mr. Anshul Gupta, AOR

Mr. Rishabh Darira, Adv.

Mr. Aditya Tainguriya, Adv.

Mr. Sanjay Upadhyay, Sr. Adv.

Mr. Satya Kam Sharma, AOR

Mr. Akshay Dev, Adv.

Mr. Mansi Bachani, Adv.

Ms. Gitanjali Sanyal, Adv.

Mr. Shubham Upadhyay, Adv.

Mr. Rishabh Rana, Adv.

Mr. Shobhit Dwivedi, Adv.

Mr. Shalen Bhardwaj, Adv.

Mr. Virender Kumar, Adv.

Ms. Garima Kumar, Adv.

Ms. Lakshmi, Adv.

Mr. Ashok Kumar Panigrahi, Adv.

Ms. Banisha Verma, Adv.

Mr. Nischal Kumar Neeraj, AOR

Mr. N. L. Ganapathi, AOR

Ms. Anju Thomas, AOR

Ms. Muskan Surana, Adv.

Mr. Anurag Kishore, AOR

Mr. Rachit Mittal, AOR

Mr. Nishit Agrawal, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

IA NO. 99054 AND 99055/2024 (APPLNS. FOR PERMISSION AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O UPSIDA) AND IA NO. 31946/2024 (APPLN. FOR PERMISSION ON B/O OF NORTH CENTRAL RAILWAY, AGRA)

1. As far as these applications are concerned, we finally grant time of eight weeks as sought by the Central Empowered Committee (for short, "the CEC").

2. List on Tuesday, 22<sup>nd</sup> July, 2025.

CEC REPORT NO. 17 OF 2024 AND CEC REPORT NO. 34 OF 2024 IN CEC REPORT NO. 17 IN RE: UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT, 1976

3. As regards the implementation of the order dated 29<sup>th</sup> November, 2024 regarding Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, the learned Additional Solicitor General states that the State has not taken any decision.

4. In this Public Interest Litigation, we are concerned with the Taj Trapezium Zone (for short, 'the TTZ') area. There has to be a deterrent on illegal tree felling. The reason is that illegal tree felling has a direct co-relation with preservation of the Taj Mahal and other ancient monuments in the TTZ area.

5. Paragraph 16 of Report No.17 of 2024 reads thus:

"16. As detailed in para 5 above, some people illegally remove the trees owned by them when they pose a danger to their life and property while some people also fell trees for non-genuine vested interests. To discourage these practices and compensate for the tree loss, some strict punitive actions are required. The following suggestions have emerged after discussions with different stakeholders:

(a) For illegal felling of private trees of exempted species by farmers: Rs.5000 (Rs.Five thousand only) per tree may be recovered by the Divisional Forest Officer as compounding fees and timber may be handed back to the farmer.

(b) For illegal felling of private trees of restricted species by any person and exempted species by any person other than farmer: Rs 10000 (Rs. Ten thousand only) per tree may be recovered by the Divisional Forest Officer as compounding fees, timber may be seized in four of department and amount for block plantation of trees ten times the number of trees illegally felled with 5 years maintenance be deposited with the Forest Department.

(c) For illegal felling offence as covered in IFA 1927: Rs 25000 (Rs. Twenty-five thousand) per tree may be recovered by the Divisional Forest Officer as compounding fees, timber may be seized in favour of department, and amount for tree guard protected plantation of trees ten times the

number of trees illegally felled with 5 years maintenance to be deposited with Forest Department.

(d) The same process may also be adopted by respective Lok Adalats and District Courts while disposing of the cases of illicit felling in the TTZ."

6. We exercise our jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India and pass an order in terms of clauses (a) to (d) above limited to the TTZ area. We direct that a copy of this order shall be forwarded to the Registrar General of the Allahabad High Court and the Rajasthan High Court who in turn will forward the same to the District Courts within their respective jurisdictions.

IN RE: TREE CENSUS

7. We have perused the affidavit of the Forest Research Institute (for short, "the FRI") filed in terms of this Court's order dated 8<sup>th</sup> April, 2025.

8. For the time being, we are keeping the issues flagged in our order dated 8<sup>th</sup> April, 2025 open.

9. We direct the FRI to submit representations to the State of Uttar Pradesh and State of Rajasthan for release of funds in a phase-wise manner. We are sure that the State of Uttar Pradesh and State of Rajasthan will immediately release the necessary funds.

10. Before we deal with the stand taken in the affidavit by the FRI, we direct the FRI to file an additional affidavit by the end of August, 2025 setting out the progress made in the work of Tree Census.

11. A copy of this order shall be forwarded to the FRI. In case the FRI seeks any directions from the Court, it will be for the FRI to submit a report to the Registrar (Judicial) of this Court who shall ensure that the same is immediately placed before this Court.

**CEC REPORT NO.31/2024**

12. We have heard the learned senior counsel appearing for the applicant. The prayer made in paragraph 6 of the affidavit dated 8<sup>th</sup> May, 2025 cannot be accepted and the applicant will have to comply with the conditions imposed by the CEC.

**IA NO. 64225/2022 (APPLN. FOR CLARIFICATION ON BEHALF OF ARUN KR. GUPTA)**

13. List on 20<sup>th</sup> May, 2025 at 12.30 p.m.

**CEC REPORT NO. 3 OF 2025**

14. List on 20<sup>th</sup> May, 2025 at 12.30 p.m.

**IA NOS. 32568 AND 33549 OF 2025 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON BEHALF OF ASHOK)**

15. List on 20<sup>th</sup> May, 2025 at 12.30 p.m.

(ANITA MALHOTRA)  
AR-CUM-PS

(AVGV RAMU)  
COURT MASTER